

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ लॉ में "100 दिन बाल विवाह मुक्त भारत" पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के लॉ फैकल्टी ने साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA), साकेत कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर, NALSA की देखरेख में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के "100 दिन-बाल विवाह मुक्त भारत" पहल के तहत NALSA स्कीम ASHA (जागरूकता, समर्थन, मदद और कार्रवाई) के क्रम में "बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) की रोकथाम और मुफ्त कानूनी सेवाएं" पर एक जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन, डॉ. गुलाम यज़दानी के उद्घाटन संबोधन से हुई, जिन्होंने बाल विवाह जैसे गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में कानूनी शिक्षा और कानूनी जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने सामाजिक सुधार में योगदान देने और हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में कानून के छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला।

इसके बाद सत्र को सम्मानित अतिथियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। सुश्री प्रियंका रैना, लीगल एड काउंसल, साउथ-ईस्ट दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कानूनी सेवा प्राधिकरणों की भूमिका और कामकाज और भारत में मुफ्त कानूनी सहायता के महत्व को समझाते हुए एक व्यापक और जानकारीपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों, जिसमें निवारक, सुरक्षात्मक और उपचारात्मक तंत्र शामिल हैं, पर विस्तार से बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि बाल विवाह से संबंधित मामलों की पहचान, रोकथाम और समाधान में मुफ्त कानूनी सेवाएं कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके वक्तव्य ने छात्रों को कानून के व्यावहारिक आयामों और बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में कानूनी सहायता के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाया।

इसके बाद एक इंटरैक्टिव विचार-विमर्श सत्र हुआ, जिसके दौरान सुश्री प्रियंका रैना ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का व्यापक जवाब दिया। इस सत्र छात्रों और शोधार्थियों की सक्रिय और सार्थक भागीदारी शामिल रही, जिसका समापन बाल विवाह की रोकथाम और मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रभावी वितरण में शामिल व्यावहारिक चुनौतियों, वैधानिक उपायों और संस्थागत ढांचे पर एक संरचित और बौद्धिक रूप से उत्तेजक चर्चा के साथ हुआ। कार्यक्रम की एंकरिंग B.A. LL.B. तृतीय वर्ष की स्टूडेंट्स सुश्री खुशी अनवर और श्री मुहम्मद शगिल अंसारी ने बहुत अच्छे और दिलचस्प तरीके से की, जिनके तालमेल से कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के हुआ।

कार्यक्रम का समापन औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ, डॉ. गुलाम यज़दानी, चीफ प्रॉक्टर और लीगल एड कमेटी के कोऑर्डिनेटर, डॉ. असद मलिक, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डॉ. अलीशा खातून को कार्यक्रम के आयोजन में उनके मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद दिया गया। सराहना और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के तौर पर, डीन ने सम्मानित अतिथियों को पौधे भेंट किए, जो विकास, जिम्मेदारी और बाल विवाह मुक्त समाज की उम्मीद का प्रतीक थे।

इस कार्यक्रम ने फैकल्टी ऑफ लॉ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कानूनी जागरूकता, सामाजिक न्याय और समुदाय-उन्मुख कानूनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को फिर से सुदृढ़ किया।

प्रोफेसर साइमा सईद
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी